महिला निर्माण श्रमिक
संगठन रणनीति चुनौती

महिला निर्माण श्रमिकों को संगठित करने की रणनीति
और चुनौतियाँ पर दस्तावेज

BWI
Building and Wood
Workers' International

DGB
BILDUNGSWERK
BUND

महिला निर्माण श्रमिक
संगठन रणनीति चुनौती

महिला निर्माण श्रमिकों को संगठित करने की रणनीति और
चुनौतियों पर दस्तावेज

दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन
दिल्ली

विषय सूची

दो शब्द	3
प्रस्तावना : महिला के श्रम का मोल	5
1. संगठन का परिचय	9
2. महिला निर्माण मज़दूरों की स्थिति	11
3. शिक्षा एवं कौशल विकास	15
4. महिला श्रमिकों को संगठित करने की रणनीतियाँ	17
5. महिला श्रमिकों को संगठित करने की चुनौतियाँ	21
6. आगे का रास्ता	23
7. महिला निर्माण श्रमिकों के अनुभव	25

दो शब्द

यह पुस्तक दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन के कार्यकर्ताओं के एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। इस पुस्तक में महिला निर्माण श्रमिकों को संगठित करने की रणनीतियों एवं अनुभवों का संकलन किया गया है, विशेष तौर पर महिला निर्माण श्रमिकों की संगठन में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना।

दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन आभार प्रकट करता है बी.डब्लू. आई. और डी.जे.बी. का, जिनके आर्थिक सहयोग से महिला निर्माण श्रमिकों को संगठित करने की रणनीतियों का दस्तावेजीकरण संभव हो पाया है। साथ–ही–साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण भी इनके सहयोग से संभव हो सका है। हम अंबुजा सीमेंट और सेंटम का भी आभार प्रकट करते हैं जिनके तकनीकी सहयोग से महिलाओं ने कौशल विकास का प्रशिक्षण लिया। साथ–ही–साथ भारत सरकार के 'निर्माण कौशल विकास परिषद' तथा 'पेंट एवं कोटिंग कौशल परिषद' के आभारी हैं जिन्होंने महिलाओं के कौशल का मूल्यांकन कर उन्हें प्रमाण–पत्र प्रदान किया। प्रशिक्षण में भाग लेने वाली सभी महिलायें कभी किसी औपचारिक शिक्षा का हिस्सा नहीं रही हैं। प्रशिक्षण में सफल होने के बाद जब उन्हें प्रमाण–पत्र मिला, जो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

संगठन आभारी है उन सभी महिलाओं का, जिन्होंने कौशल विकास के प्रशिक्षण में तमाम चुनौतियों के बावजूद भाग लिया

और सफलतापूर्वक प्रमाण–प्रत्र प्राप्त किया। यह कार्य संगठन के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का नतीजा है जिन्होंने महिला श्रमिकों के साथ संवाद बनाया और उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

अनीता जुनेजा
दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन

प्रस्तावना : महिला के श्रम का मोल

किसी भी शहर का विकास पूँजी और श्रम के द्वारा होता है। हमारे समाज में पूँजी की महत्ता तो है परंतु श्रम की नहीं और महिलाओं के श्रम का तो कोई मोल ही नहीं। दिल्ली को बनाने में लाखों श्रमिकों का श्रम लगा है परंतु वे अदृश्य हैं। ये श्रमिक आज इस बड़े शहर के निर्माण स्थल, मलिन एवं अनियोजित बस्तियों में बहुत ही बुरी स्थितियों में रहने को मजबूर हैं। ये मज़दूर देश के अन्य राज्यों से काम की तलाश में दिल्ली आते हैं। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में ढाँचागत निर्माण का काम बहुत तेजी से हुआ है, इसलिए दिल्ली में रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़े हैं। दिल्ली में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आदि राज्यों के मज़दूर बड़ी संख्या में आते हैं। इन राज्यों में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं और मजदूरी भी कम है। इसके अतिरिक्त सामंती व्यवस्था, जातिगत शोषण और पितृसत्ता के बंधनों के कारण भी लोग गाँव छोड़ने पर विवश हैं।

दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी इन मज़दूरों को प्रतिदिन काम नहीं मिलता। दिल्ली राज्य द्वारा तय मज़दूरी भी नहीं मिलती, इसके बावजूद लोग शहर में आकर काम करते हैं। गाँव से आने वाले ज्यादातर श्रमिक अकुशल श्रमिक हैं इसलिए अधिकतर मज़दूर निर्माण के क्षेत्र में बेलदार के रूप में काम करते हैं। लगातार काम करते–करते कुछ लोग अपने कौशल को बढ़ाते हैं और बेलदार से

राजमिस्त्री, पेंटर, कारपेंटर, इलैक्ट्रीशियन, इत्यादि बन जाते है। परंतु इनके साथ काम करने वाली प्रायः सभी महिला श्रमिकों के काम की शुरुआत कुली व बेलदार के रूप में होती है और पूरा जीवन काम करने के बाद भी इनकी पहचान एक कुली की ही रहती है, उनकी पहचान नहीं बदलती है। इस पूरे विकास की प्रक्रिया में महिलाओं का श्रम शोषित और अदृश्य है।

महिला श्रमिक चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करे दोहरी जिम्मेदारी को निभाती है। सुबह सवेरे उठकर घर का काम करना, पति को काम पर भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना और स्वयं काम पर जाना; पुरुष के बराबर या अधिक श्रम करना और वापिस आकर घर की जिम्मेदारी को सँभालना। महिलाओं के श्रम का निवेश घर और बाहर दोनों जगह पर हो रहा है। घर के श्रम का कोई मूल्य नहीं और बाहर शोषित श्रम में काम करने को विवश हैं।

घर में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले श्रम का कोई मूल्य तय नहीं है इसलिए महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अधिकतर काम को काम ही नहीं माना जाता है। यही महिलायें जब बाहर काम करने जाती हैं तो उनकी मज़दूरी हमेशा पुरुषों से कम आँकी जाती है। हमारे देश में सदियों से यह व्यवस्था चली आ रही है इसलिए पति, सरकार, प्रशासन या मालिक सबकी सोच ऐसी बन गई है कि महिलाओं के श्रम का बराबर मूल्य नहीं आँकते। निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की भी यही स्थिति है।

किसी भी समाज को अच्छा समाज तब माना जाता है जब समाज समानता के सिद्धांत पर खरा उतरे। हमारे समाज में समानता और सम्मान के लिए कई वर्गों ने लंबा संघर्ष किया है। मज़दूरों का संघर्ष, दलितों का संघर्ष, महिलाओं का संघर्ष, ऐसे बहुत से संघर्ष अपने सम्मान और समानता के लिए समाज में आज भी चल रहे हैं।

समाज ने लड़की को एक अभिशाप की तरह देखा है। कोशिश यह होती है कि लड़की जन्म ही न ले, यदि जन्म हो भी गया तो पूरा जीवन दूसरों के निर्देश पर बीत जाता है। शिक्षा पर रोक, बाहर जाने पर रोक, अपने पसंद से खाना नहीं खा सकते, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, घूमने नहीं जा सकते, यहाँ तक कि अपना जीवनसाथी भी अपनी इच्छा से नहीं चुन सकते। यह सभी निर्णय लेने का अधिकार पुरुष के पास है। यह समाज का कैसा नियम है जहाँ पुरुष के लिए कुछ और नियम और महिलाओं के लिए कुछ और नियम बनाए गए हैं। समाज की यही व्यवस्था समाज में किसी को ताकतवर और किसी को कमजोर बनाती है। महिलाओं को एक गुलाम की तरह से देखा गया है। परिवार में निर्णय लेना हो या समाज में निर्णय लेना हो, महिलाओं को इस लायक ही नहीं समझा कि वह निर्णय ले सकें।

समाज का यह भेदभावपूर्ण व्यवहार महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में आने से रोकता है और उनकी हिम्मत को तोड़ता है। महिलाओं के साथ मानसिक एवं शारीरिक हिंसा करना, पितृसत्ता, धर्म और जाति के नियमों से डराना, अपमानित करना, शिक्षा से दूर रखना इत्यादि कारणों से महिलायें नेतृत्व में नहीं आ पाती हैं। ज्यादातर महिलाओं को दुनिया को देखने और समझने का मौका ही नहीं मिला। पूरा जीवन कड़ा परिश्रम करना, हिंसा, अपमान सहना और दूसरों पर आश्रित रहना हमारे समाज की ज्यादातर महिलाओं की नियति बन गई है। आज देश में करीब पचास प्रतिशत महिलाओं की आबादी है। इस आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित, निर्णय लेने में असक्षम, भयभीत और गुलाम है। क्या ऐसी परिस्थिति में हमारा समाज एक स्वस्थ समाज कहलाएगा?

सरकार का कहना है कि कुल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 27 प्रतिशत है। यदि सरकार घर के काम और महिला

कामगारों के काम को मान्यता देती तो क्या यह श्रमबल केवल 27 प्रतिशत होता?

संगठन के द्वारा महिला निर्माण श्रमिकों को शिक्षित एवं संगठित करने का प्रयास महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक गुलामी एवं बंधनों से मुक्ति दिलाने की ओर एक कदम है।

1
संगठन का परिचय

'दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन' दिल्ली में रहने एवं काम करने वाले निर्माण मज़दूरों का संगठन है। संगठन का उद्देश्य निर्माण मज़दूरों में चेतना जागृत करना, उनके बीच सशक्त संगठन की स्थापना करना तथा मज़दूरों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक संघर्ष करना है। संगठन समाज में लिंग समानता, सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन निर्माण मज़दूरों को दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड से जुड़ने एवं बोर्ड की योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सहयोग करता है। संगठन की स्थापना वर्ष 2010 में हुई। संगठन दिल्ली के सभी जिलों में कार्य कर रहा है। संगठन का मुख्य कार्य मज़दूरों को श्रम अधिकार, मानव अधिकार, लिंग समानता एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। संगठन मज़दूरों को संगठित कर उनके बीच सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का विकास करता है। पुरुष एवं महिला निर्माण मज़दूरों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। मज़दूरों के कौशल विकास के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण का आयोजन भी करता है।

'भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार नियमन एवं सेवा–शर्तें) कानून' 1996 के बनने के वर्षों बाद भी ज्यादातर निर्माण मज़दूरों को इस कानून की जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में निर्माण मज़दूर अपने सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। शोषित मज़दूरी एवं कठिन परिस्थितियों में काम करना अधिकतर

निर्माण मज़दूरों की नियति बन जाती है। संगठन उपर्युक्त कानून की जानकारी निर्माण मज़दूरों को निरंतर देने का काम करता है। मज़दूरों के कार्य–स्थल, उनके–निवास स्थल–जैसे झुग्गी बस्तियाँ, पुनर्वास कालोनी, अनधिकृत कालोनी तथा लेबर चौक में मज़दूरों के साथ नुक्कड़ सभाओं, बस्ती सभाओं के माध्यम से जानकारी देने का काम करता है।

समय–समय पर परामर्श सभाओं का आयोजन कर मज़दूरों के सुझावों को एकत्र कर कल्याण बोर्ड एवं सरकार तक पहुँचाया जाता है जिससे बोर्ड के नियमों को सरल, लाभ की बढ़ोत्तरी एवं सुविधाओं को पहुँच के योग्य बनाया जा सके। संगठन लगातार श्रम विभाग और मज़दूरों के बीच संवाद को कायम रखता है जिससे जानकारियों का आदान–प्रदान भी होता है तथा साथ–ही–साथ शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

2
महिला निर्माण मज़दूरों की स्थिति

निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली अधिकतर महिलायें अशिक्षित हैं तथा दलित एवं पिछड़ी जातियों से हैं। ज्यादातर महिलाओं ने कभी स्कूल नहीं देखा। बचपन से ही माता–पिता के साथ बाल श्रमिक के रूप में काम किया है। बाल–विवाह की शिकार हैं और ससुराल में भी बहुत छोटी उम्र से काम करती आ रही हैं।

शिक्षित महिलाओं की स्थिति में कुछ बदलाव नजर भी आता है परंतु ऐसी महिलायें जो दलित समाज से हैं या गरीब वर्ग से हैं उनका पूरा जीवन अंधेरे में गुम है। निर्माण मज़दूर महिलाओं की स्थिति आज बहुत ही दयनीय है।

महिला श्रमिकों के पास समय का अभाव होता है। वे दोहरी जिम्मेदारी को निभाती हैं इसलिए स्वयं के लिए उनके पास समय नहीं होता है। महिलायें अपने मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देती हैं। वे हमेशा अपने बच्चों, परिवार एवं काम की जिम्मेदारी निभाती रहती हैं।

महिलाओं को किसी भी परिवार में अग्रणी भूमिका निभाने नहीं दी जाती है, इसलिए उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। यदि महिलायें अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास भी करती हैं तो परिवार एवं समाज के लोग उन पर रोक लगाते हैं, उनका परिहास उड़ाते हैं। उनके घर से निकलने पर पाबंदी लगाते हैं, यदि महिलायें इन सबके बावजूद घर से निकलने का प्रयास करती हैं तो हिंसा का सहारा लिया जाता है।

श्रम विभाग की निष्क्रियता के कारण मज़दूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती। न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसे में यह श्रमिक काम करते हैं। कई बार मालिक और ठेकेदार काम करवाकर भी मजदूरी नहीं देते हैं। 'भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार नियमन एवं सेवा–शर्तें) कानून' 1996 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इन मज़दूरों की मज़दूरी की लूट को रोक सके। साथ–ही–साथ श्रम अधिकारियों की कमी और उदासीन रवैये से मज़दूरों की लूट और बढ़ जाती है। ज्यादातर श्रमिक अशिक्षित हैं इसलिए पुलिस एवं मालिक के डर से वह कानून का सहारा भी नहीं ले पाते हैं।

बड़े–बड़े महानगरों में सुबह के समय निर्माण मज़दूरों की मंडियाँ सजी रहती हैं, इन्हें लेबर चौक के नाम से जाना जाता

है। निर्माण के काम से जुड़े सभी श्रमिक जैसे राजमिस्त्री, बेलदार, पेंटर, कारपेंटर, पी ओ पी का काम करने वाले श्रमिक सुबह–सुबह रोटी का डिब्बा लेकर इन मंडियों में आते हैं, वहाँ मालिक अपनी जरूरत के अनुसार इनके श्रम का मोल–भाव करके इन्हें अपने साथ काम पर ले जाते हैं। जिन श्रमिकों को काम नहीं मिलता वे खाली हाथ घर लौट जाते हैं। महिला श्रमिक, गर्भवती महिलाओं एवं अधिक आयु–वाली महिला श्रमिकों तथा जिनके छाटे बच्चे हैं, उनको बहुत मुश्किल से काम मिलता है। इसलिए यह तय नहीं होता कि किस श्रमिक को कितने दिन काम मिलेगा, जिससे काम की अनिश्चितता लगातार बनी रहती है। घर में आमदनी कम होने के कारण खाने में पौष्टिकता की कमी रहती है जिसका सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ज्यादातर महिलायें कुपोषण का शिकार होती हैं।

मशीनीकरण का असर महिलाओं के रोजगार पर भी दिखता है। निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ज्यादातर काम अब मशीनों द्वारा किया जा रहा है, जैसे मसाला बनाना, चढ़ाना, गड्ढे खोदना, इत्यादि। काम की जगह पर सुरक्षा के कोई मापदंड नहीं अपनाए जाते हैं। जान जोखिम में डालकर काम करने को विवश हैं निर्माण श्रमिक। निर्माण–स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है, जैसे पीने का पानी, स्नान घर, शौचालय जिससे महिलायें, बच्चे एवं किशोरियाँ असुरक्षित माहौल में रहती हैं।

निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का काम मौसम पर भी निर्भर करता है। ज्यादातर मालिक गर्मी के समय काम करवाना पसंद करते हैं; दिन लंबा होता है इसलिए श्रमिक ज्यादा काम कर पाते हैं, परंतु तेज धूप में काम करने से इसका सीधा असर श्रमिक के स्वास्थ्य पर पड़ता है और वह ज्यादा काम नहीं कर सकते। बारिश और सर्दी के समय श्रमिकों को काम मिलने में कठिनाई होती है। जलवायु परिवर्तन का असर भी निर्माण श्रमिकों के काम पर पड़ रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण कई बार माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार निर्माण–कार्य बंद कर दिया जाता है जिसका सीधा असर निर्माण मज़दूरों के रोजगार पर पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में महिला श्रमिकों को काम मिलना और भी मुश्किल हो जाता है।

3
शिक्षा एवं कौशल विकास

वर्तमान संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति के पास कौशल है तो उसके पास रोजगार के अवसर भी ज्यादा हैं और उसकी मजदूरी भी ज्यादा होगी। संगठन का ऐसा अनुभव है कि जो मजदूर थोड़े भी पढ़े–लिखे होते हैं वे निर्माण से जुड़े कार्य को तत्परता से सीखते हैं, अपने कौशल को बढ़ाते हैं और अकुशल मजदूर से कुशल मजदूर के रूप में काम की जिम्मेदारी सँभालते हैं। कुशलता बढ़ने पर मजदूरी भी बढ़ती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। परिवार में आर्थिक खुशहाली होने से जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है, परंतु ऐसा विकास ज्यादातर पुरुष निर्माण श्रमिकों में देखा गया है। महिला मजदूरों में इस तरह के उदाहरण देखने को कम ही मिलते हैं।

कौशल विकास प्रशिक्षण।

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए संगठन पिछले कुछ वर्षों से इस प्रयास में था कि अकुशल महिला मजदूरों के लिए भी ऐसे मौके तलाशने चाहिए जहाँ उनके कौशल को बढ़ाया जा सके। बढ़ी हुई मजदूरी के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्राप्त किया जा सके। संगठन की महिला श्रमिकों ने इस विचार का उत्सुकता के साथ स्वागत किया और अपने कौशल को बढ़ाने की इच्छा जताई।

प्रमाण–पत्र वितरण।

अंततः संगठन ने बी.डब्लू.आई. के सहयोग से कौशल विकास के प्रशिक्षण का आयोजन किया जिसमें सहायक राजमिस्त्री के लिए 90 महिला श्रमिकों को तथा सहायक पेंटर के लिए 60 महिला श्रमिकों को पिछले एक वर्ष में प्रशिक्षित किया गया।

4
महिला श्रमिकों को संगठित करने की रणनीतियाँ

महिला निर्माण श्रमिकों को संगठित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। संगठन मुख्य रूप से महिला श्रमिकों को लेबर चौक, निर्माणाधीन कार्यस्थल, निवास की जगह (झुग्गी बस्तियाँ, पुनर्वास कालोनियाँ, कच्ची कालोनियाँ) पर संगठित करने का कार्य करता है।

निर्माण श्रमिकों के साथ श्रम कानूनों पर सभा।

संगठन के कार्यकर्ता श्रमिकों के रहने के स्थान या लेबर चौक पर जाकर श्रमिकों के साथ लगातार संपर्क बनाते हैं। संपर्क बनाने का उद्देश्य श्रमिकों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करना–जैसे गाँव से पलायन के कारण, शहर में काम एवं मज़दूरी की स्थिति, रहने की स्थिति, कल्याण बोर्ड की जानकारी इत्यादि।

साथ–ही–साथ महिलाओं की घर में क्या स्थिति है, गरीबी के क्या कारण हैं, बस्ती में सुविधाओं का अभाव क्यों है, महिला पुरुष की मज़दूरी में भेदभाव क्यों है? इत्यादि विषयों पर चर्चा करना एवं जानकारी एकत्रित करना।

महिलाओं के विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाना–कार्यशालाओं के माध्यम से अपनी स्थिति को पहचानना, स्थिति का सामूहिक विश्लेषण करना और उसे बदलने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, इन परिस्थितियों को क्या अकेले बदला जा सकता है, संगठन की आवश्यकता क्यों है? आदि विषयों पर चर्चा करना।

महिला निर्माण श्रमिकों के साथ जागरूकता सभा।

समस्याओं के व्यक्तिगत समाधान की जगह समस्याओं का सामूहिक हल निकालना और इसके लिए नुक्कड़ सभा, मासिक सभा, क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन करना जिससे सामूहिक संघर्ष को तैयार किया जा सके।

जानकारी के स्तर को बढ़ाना–प्रशिक्षण के माध्यम से सामजिक, आर्थिक, राजनैतिक विषयों पर महिला श्रमिकों की समझ निर्माण करना। श्रम कानूनों (भवन एवं सन्निर्माण कानून, न्यूनतम मज़दूरी कानून, समान मज़दूरी कानून इत्यादि) पर चर्चा करना तथा कानून के माध्यम से श्रमिक को मिलने वाले लाभ एवं सुविधाओं की जानकारी श्रमिकों को देना।

समाज में होने वाले विभिन्न तरह के भेदभाव पर चर्चा करना, जैसे अमीरी–गरीबी, स्त्री–पुरुष भेद, धर्म एवं जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव इत्यादि। काम से संबंधित हुनर को बढ़ाना, महिलाओं के कौशल विकास के लिए अलग–अलग तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना इत्यादि।

महिला निर्माण श्रमिकों के मुद्दे पर जन सुनवाई।

श्रमिकों को काम की जगह सुरक्षा से जुड़ी जानकारी देना, काम की जगह महिला यौन–शोषण के खिलाफ तथा घरेलू हिंसा के विरोध में महिलाओं के समूह को तैयार करना, नशे के विरोध में स्थानीय समूह को तैयार करना इत्यादि।

सभाओं के माध्यम से लोकतंत्र, संविधान के बारे में जानकारी देना तथा संविधान से देश के नागरिकों को मिलने वाले अधिकार के बारे में बताना। महिला श्रमिकों के लिए समय–समय पर राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण का आयोजन करना।

समय–समय पर मज़दूर बस्तियों में सामूहिक भोज का आयोजन करना, जिसके माध्यम से जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र आधारित भेदभाव को कम किया जा सके। महिलाओं के श्रम को सम्मानित करने के लिए मज़दूर बस्तियों में कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनके श्रम को सम्मानित करना।

सांस्कृतिक त्योहारों को सामूहिक स्तर पर मनाना, जैसे होली, दिवाली, ईद, मकर संक्रांति, इत्यादि। महिलाओं के लिए खेलकूद, वाद–विवाद, रंगोली, मेंहदी एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगताओं का आयोजन करना।

पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन का श्रमिकों के काम एवं जीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा हो रही है और संगठन के साथ–साथ श्रमिक वर्ग भी इस चुनौती को समझने का प्रयास कर रहा है।

5
महिला श्रमिकों को संगठित करने की चुनौतियाँ

निर्माण–क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भारत के अलग–अलग राज्यों से आते हैं। सबकी भाषा, संस्कृति, खान–पान, पहनावा अलग है, इसलिए वह जल्दी से एक–दूसरे पर विश्वास नहीं करते और संगठन के कार्यकर्ताओं पर भी उनका जल्दी विश्वास नहीं बनता है। कई बार ठेकेदार और उनके समाज के प्रभावशाली लोग महिलाओं को सभाओं में आने से भी रोकते हैं।

बहुत सारे शब्द जो पढ़े–लिखे समाज में हम सहज ही बोल जाते हैं उनके अर्थ भी समझने में उन्हें बहुत समस्या आती है। चर्चा को याद नहीं रख पाती हैं, चर्चा खेलों के माध्यम से की जाती है और बार–बार चर्चा को दोहराना पड़ता है।

ज्यादातर श्रमिक सामंती राज्यों से आते हैं जहाँ महिलाओं के लिए बहुत सारे बंधन हैं। धर्म और जाति ने इस बंधनों को बहुत मजबूत किया है और महिलाओं की आजादी में यह सबसे बड़ी बाधा है। सभी धर्मों में महिलाओं को इतना डराया गया है कि इन बंधनों को तोड़ने से वे डरती हैं। अशिक्षा के कारण इन बंधनों को तोड़ना महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती है।

काम की अनिश्चितता की वजह से लगातार काम की तलाश में श्रमिक एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं जिसके कारण सामूहिक प्रक्रिया में भागीदारी कम हो जाती है। कई बार महिलायें

पारिवारिक दबाव एवं जिम्मेदारी के कारण भी सामूहिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाती हैं। कई बार उपयुक्त जगह एवं पर्याप्त समय के अभाव में भी श्रमिकों के साथ बातचीत पूरी नहीं हो पाती है जो सामूहिकता के रास्ते में एक बड़ी चुनौती के रूप में है।

आज हमारे देश में कौशल विकास के संस्थान तो हैं लेकिन इन संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के लिए एक अनिवार्य शैक्षिणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। साथ–ही–साथ परिवार की आर्थिक स्थिति की भी अहम् भूमिका है। हमारे देश में साठ से सत्तर प्रतिशत आबादी गरीबी जैसे हालात में रहने को मजबूर है जिनके पास अच्छी शिक्षा के अवसर भी बहुत कम हैं। दूसरी तरफ हमारे देश की सरकारी शिक्षा की हालत भी किसी से छुपी नहीं है, जिसके कारण ज्यादातर बच्चे स्कूल जा नहीं पाते या स्कूल छोड़ देते हैं। यही बच्चे भविष्य में जब देश का कार्यबल बनते हैं तो वह अकुशल कार्यबल होता है।

गरीबी और बेरोजगारी की मार की वजह से कम उम्र में ही शहरों में पलायन को मजबूर हो जाते हैं। शहरों को विकास के लिए कार्यबल तो मिलता है लेकिन यह कार्यबल अशिक्षित और अकुशल होता है। निर्माण के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों से लगातार काम बढ़ने की वजह से ऐसे कार्यबलों को आसानी से अकुशल मजदूरी का काम मिल जाता है। जीवन–यापन के लिए शोषित मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। अशिक्षा और अकुशलता के कारण सौदेबाजी की क्षमता कम हो जाती है। महिलाओं के कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए संस्थान न के बराबर हैं। इन संस्थानों में महिलाओं के लिए निर्माण से जुड़े कौशल विकास की सुविधा भी नहीं है।

6
आगे का रास्ता

आज आवश्यकता है महिलाओं को अपनी राजनीति करने की; महिलाओं की राजनीति का अर्थ समाज और सरकार से अपने काम को मान्यता दिलवाने के लिए सामूहिक आवाज उठाना है। महिलायें चाहे वह स्वयं के घर में काम करें या दूसरे के घरों में जाकर काम करें, उनके काम को सरकार और समाज मान्यता दे तथा उनके काम का सम्मानजनक मूल्य तय करे।

महिलाओं का सामूहिक संघर्ष महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए होगा। चाहे यह हिंसा घरेलू हिंसा हो, काम की जगह पर हिंसा हो, छेड़छाड़ या बलात्कार के रूप में हो। महिलाओं पर होनी वाली हर तरह की हिंसा का विरोध ही महिलाओं की राजनीति और महिलाओं को संगठित करने की रणनीति है।

महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम मजदूरी दी जाती है; निर्माण का काम हो, खेती का काम हो या कारखानों में उत्पादन से जुड़ा कोई भी काम हो। हमारे देश में समान काम के लिए समान मजदूरी का कानून होते हुए भी मजदूरी में असमानता है। स्त्री का पुरुष के समान मजदूरी के अधिकार के लिए लड़ना ही महिलाओं की राजनीति और महिलाओं को संगठित करने की रणनीति है।

समाज ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा। महिलाओं को ऐसे कामों की जिम्मेदारी दी गई जिसमें श्रम सबसे

ज्यादा है और पैसा या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। संपत्ति के अधिकार से वंचित होने के कारण महिलायें पिता, पति और पुत्र पर पूरा जीवन आश्रित रहती हैं और स्वयं के निर्णय नहीं ले पाती हैं। सच्चाई यह है कि महिलाओं के श्रम के बिना परिवार और समाज का निर्माण असंभव है।

आज देश में संवैधानिक संस्थायें जैसे ग्राम सभा, वार्ड, विधान सभा एवं संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग की जा रही है और राजनैतिक पार्टियाँ भी इसी का भरोसा दिलाती हैं। जब देश में महिलायें संख्या में पुरुषों के बराबर हैं तो इन संवैधानिक संस्थानों में 33 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिए। स्थानीय निकायों से लेकर देश की संसद तक निर्णय की प्रक्रिया में बराबर की हिस्सेदारी ही महिलाओं की राजनीति और महिलाओं को संगठित करने की रणनीति है।

आज ज्यादातर घरों में सभी मामले, जैसे शादी–ब्याह, संपत्ति, शिक्षा, घूमना–फिरना इत्यादि विषयों में पुरुषों का निर्णय ही सर्वोपरि रहता है। जबकि आज जरूरत है कि शिक्षा, रोजगार, एवं शादी–ब्याह के विषयों पर लड़कियाँ स्वतन्त्र रूप से निर्णय ले सकें। माता–पिता की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे बच्चों को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए स्वस्थ एवं खुला माहौल दें। महिलाओं की राजनीति और महिलाओं को संगठित करने की रणनीति इसी दिशा में अग्रसर होनी चाहिए।

महिलाओं को अपने आत्म–सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपनी राजनीति खुद ही करनी होगी। किसी और पर निर्भर रहते हुए एक स्वतंत्र एवं सम्मानजनक जीवन की कल्पना मुश्किल है। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, सम्मान भरा जीवन जीने के लिए एवं स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वयं को शिक्षित और कुशल बनाना ही महिलाओं की अपनी राजनीति और रणनीति होगी।

7
महिला निर्माण श्रमिकों के अनुभव

नामः- गीता, मीरा बाग, पश्चिम विहार।

गीता रायबरेली, उ.प्र. की रहने वाली है। गीता जब चार–पाँच वर्ष की थी, उसके माता–पिता काम की तलाश में दिल्ली आ गए। गीता के परिवार में चार बहनें और दो भाई हैं। बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, आठ वर्ष की आयु से गीता को पढ़ाई के साथ–साथ घर का काम करना पड़ा। भाई–बहनों में गीता सबसे बड़ी थी। घर के काम की जिम्मेदारी, छोटे–भाई–बहनों को संभालना, पढ़ाई करना व बाहर के काम में भी मदद करना पड़ता था। गीता के पिता निर्माण मज़दूर हैं और माता घरेलू कामगार हैं।

गीता की शादी सत्रह साल की उम्र में हुई। पति बलबीर, पेंटर का काम करते हैं। पति के साथ दिहाड़ी पर जाकर गीता ने पेंटर का काम सीखा। गीता के चार बच्चे हैं जिसमें दो लड़कियाँ एवं दो लड़के हैं। गीता की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है।

गीता संगठन से 2012 में जुड़ी, पहले बलबीर सिंह संगठन से जुड़े, धीरे–धीरे गीता भी मीटिंग व कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। संगठन से जुड़ने के बाद गीता बस्ती की अन्य महिलाओं को भी मीटिंग में लाने लगी, निर्माण मजदूर बहनों को संगठन से जोड़ना, धरने–रैली में भाग लेना और ज्यादा–से–ज्यादा मज़दूरों को जागरूक करने लगी।

गीता को बचपन से ही सीखने का और आगे बढ़ने का शौक था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बचपन में गीता को सीखने के अवसर कम मिले। अब जब सीखने का अवसर मिला तो उसे बहुत अच्छा लगा और पति व बच्चों ने भी गीता का साथ दिया।

गीता के सामने अपना लगा हुआ काम छोड़कर कुछ सीखने जाना सबसे बड़ी चुनौती लगती थी, क्योंकि इसमें सीधे मज़दूरी का नुकसान था। पति ने गीता को जाने के लिए तैयार किया। माता–पिता, पड़ोसी तथा रिश्तेदारों ने गीता को मना किया। उनका कहना था कि अब सीखने की उम्र नहीं है, बच्चे पालो, काम करो, इतनी दूर कहाँ जाओगी। गीता ने हार नहीं मानी और पेंटर की TOT (मास्टर पेंटर) की ट्रेनिंग ली। गीता का छोटा बच्चा उस समय पाँच साल का था जिसे बड़े बच्चों के सहारे छोड़कर वह ट्रेनिंग में जाती थी।

काम के अनुभव के बावजूद अँग्रेजी कमज़ोर होने के कारण वह इस प्रशिक्षण में उत्तीर्ण नही हो पाई। गीता ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा सहायक पेंटर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

प्रशिक्षण के बाद गीता की जिंदगी में बदलाव आया। गीता के अंदर पहले से मजबूती आई, पहले कहीं अकेले जाने में डरती थी, पर अब आत्मविश्वास बढ़ा है। घर में भी पति व बच्चों की नजरों में सम्मान बढ़ा। उसका मानना है कि जिंदगी में पहली बार अवसर मिला कुछ सीखने का, कुछ करने का और उसे अब लगता है कि वह भी अपने लिए कुछ कर सकती है।

गीता ने अपने घर की रंगाई–पुताई का काम स्वयं किया। उसकी इच्छा है कि वह बिना किसी की सहायता के यह काम करे। गीता का सुझाव है कि महिला निर्माण मज़दूरों का एक ग्रुप बनाकर youtube या facebook में खाता खोला जाए जिससे महिला निर्माण मज़दूरों को भी काम मिले।

नामः- माया, डेरी वाला बाग, पश्चिम विहार

माया, गाँव रामगढ़, जिला छतरपुर, म.प्र. की रहने वाली है। माया की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। शादी के एक साल बाद माया अपने पति के साथ दिल्ली आ गई। माया के पति राम सहाय पहले से दिल्ली में रहते थे। सत्रह वर्ष की उम्र से माया ने निर्माण मज़दूर का काम शुरू किया। पिछले छब्बीस वर्षों से माया मज़दूरी का काम कर रही है। माया ने बताया कि जब उसने निर्माण–कार्य में कुली का काम शुरू किया तो उस समय 35–45 रुपये प्रतिदिन की मज़दूरी मिलती थी। माया संगठन से 2006 में जुड़ी। पहले संगठन की सभाओं में व अन्य कार्यक्रमों में माया अकेले आती थी, लेकिन अब उनके पति भी लगातार कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं।

प्रशिक्षण के बारे में माया को जानकारी संगठन की बस्ती में होने वाली सभा से मिली। माया ने पति से प्रशिक्षण में जाने की बात की, पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि दिहाड़ी का नुकसान होगा और इस उम्र में अब क्या सीखोगी। माया काफी निराश हुई और बस्ती की सभा में उसने अपनी समस्या सबके सामने रखी। बस्ती की दूसरी महिलाओं ने माया का हौसला बढ़ाया और कहा कि अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के मौके हमें बार–बार नहीं मिलते। सहायक राजमिस्त्री के इस प्रशिक्षण में इस बस्ती से पाँच महिलाओं ने भाग लिया।

प्रशिक्षण को लेकर काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कभी पड़ोसियों ने मजाक का पात्र बनाया तो पति कभी लगातार प्रशिक्षण में न जाने का दवाब बनाते रहे। माया को ऐसा लगता है कि पढ़ी–लिखी ना होने की वजह से भी वह अपने तर्कों को मज़बूती से सबके सामने रख नहीं पा रही थी।

माया का पति राजमिस्त्री है, वो अपने पति के साथ काम पर जाती है। प्रशिक्षण के बाद माया ने काम के दौरान 4 इंच की दीवार की चुनाई की। मालिक व पति ने जब काम देखा तो बहुत तारीफ की एवं शाबाशी दी। माया आठ महीने पहले गाँव गई थी। वहाँ उसका मकान बन रहा था। उसने वहाँ भी कमरे की चारों दीवारों की चुनाई की। छत पर लिंटर डालने के समय राजमिस्त्री ने तीन फूट का छज्जा नहीं निकाला और कहा कि पर्याप्त जगह नहीं है। माया ने उसी जगह छज्जा निकालकर दिखा दिया। सास व पति बड़े खुश हुए।

आज माया के पति पूरी कोशिश करते हैं कि उसे काम पर ले जाएँ और राजमिस्त्री का काम करने का मौका दें तथा माया के काम में उसकी मदद करें। आज माया का सपना है कि वह जल्द बेलदार से राजमिस्त्री बने, ज्यादा मज़दूरी कमाए, परिवार में पति के बराबर सम्मान मिले।

नामः- संतो, सहयोग विहार, द्वारका

संतो, गाँव छांड, जिला टोंक, राजस्थान की रहने वाली है। संतो चार बहनें और दो भाई हैं। संतो की शादी केवल तीन वर्ष की उम्र में कर दी गई थी। घर में गरीबी के कारण उसके माता–पिता ने चारों बेटियों की शादी एक साथ एक घर में की। शादी के समय बड़ी बहन की उम्र अठारह वर्ष, दूसरी बहन की उम्र पंद्रह वर्ष, तीसरी बहन की उम्र तेरह वर्ष तथा संतो की उम्र तीन वर्ष थी। चारो बहनों की शादी एक दिन एक ही मंडप में हुई। शादी में भी धोखा हुआ, माँ और नानी जिस लड़के को देखकर आई थीं, बारात के समय उसके बड़े भाई को घोड़ी पर बिठाकर ले आए। जब घरवालों ने शादी से इनकार किया तो लड़केवाले व समाज ने दबाव बनाया कि हल्दी लग चुकी है, मेहंदी भी लग चुकी है और अब मना करने पर सभी बहनों की शादी नहीं

होगी। माता–पिता को मजबूरन शादी के लिए मानना पड़ा। संतो चौदह पंद्रह वर्ष की उम्र में ससुराल में रहने आ गई। संतो के अनुसार उसके पति उससे बारह वर्ष बड़े थे। उम्र में ज्यादा अंतर होने के कारण आपस में कभी नहीं बनी। हमेशा लड़ाई–झगड़ा होता रहता था। उम्र में वह बड़े थे इसलिए सिर्फ हुक्म चलाना ही जानते थे। संतो के अंदर बचपना था, प्रायः गलती हो जाती थी जिसके लिए उसे मार तक पड़ती थी। घर में ज्यादा झगड़े होने पर माता–पिता मायके ले आते थे और साल–छह महीने के बाद वापस ससुराल भेज देते।

द्वारका आने से पहले संतो का परिवार मायापुरी की झुग्गी बस्ती में रहता था। जब झुग्गी टूट गई तो सब लोगों को सहयोग विहार में जगह मिली। इन्होंने भी पैसे जोड़कर घर लिया। अभी संतो के दो लड़के हैं, बड़ा बेटा बारहवीं में पढ़ता है और छोटा बेटा दसवीं कक्षा में पढ़ता है। संतो को निर्माण मज़दूर का काम करते करीब बीस वर्ष हो गए हैं। जब काम शुरू किया तब पचास रुपये की दिहाड़ी मिलती थी। संतो संगठन से 2012 में जुड़ी, धीरे–धीरे मीटिंग में आना शुरू किया और अपने साथ बस्ती की अन्य महिला निर्माण मजदूरों को संगठन से जोड़ा।

बस्ती सभा के माध्यम से संतो को सहायक राजमिस्त्री के प्रशिक्षण की जानकारी मिली। संतो ऐसा मानती है कि बेलदारी में मेहनत ज्यादा है और पैसे कम मिलते हैं। राजमिस्त्री का काम सीखने से काम ज्यादा मिलेगा, आमदनी भी बढ़ेगी और समाज में इज्जत भी मिलेगी।

प्रशिक्षण के दौरान अंग्रेजी में औजारों के नाम बताए गए जिसे समझने में दिक्कत हुई और अफसोस भी हुआ कि उसे बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला। भाई–भाभियों ने भी मजाक बनाया कि इस उम्र में क्या सीखोगी, बच्चे पालो। शुरू में थोड़ी झिझक

थी परंतु अन्य महिलाओं को देखकर उसका भी हौसला बढ़ा और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया।

संगठन में जुड़ने के बाद और विभिन्न प्रशिक्षणों में भागीदारी से संतो का आत्मविश्वास बढ़ा है और काफी बदलाव महसूस करती है। संतो बताती हैं कि निर्माण–स्थल पर जो काम होता है उसकी कमी का पता चलने लगा है और दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। पति के बात–व्यवहार में भी अंतर आ गया है और पहले से ज्यादा इज्जत करने लगे हैं।

अब संतो और उसका पति दोनों संगठन की सभाओं, कार्यशालाओं व सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं।

नामः- कुसुम, जे जे कॉलोनी, शिव विहार

कुसुम मूल रूप से जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कुसुम के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में माता–पिता तथा कुसुम का एक भाई है। माँ खेतों में काम करती थी तथा पिता बेलदारी का काम करते थे। गरीबी के कारण कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। बारह वर्ष की उम्र में कुसुम की शादी हुई। जब शादी हुई तब शादी के बारे में कोई समझ नहीं थी। पति के साथ कुसुम भी पंद्रह साल की उम्र से बेलदारी का काम करने लगी।

कुसुम की ससुराल में सास–ससुर, दादी सास और तीन देवर थे। कुसुम के माता–पिता के दिल्ली आने के बाद कुसुम ने अपने पति से कहा कि हम लोग भी दिल्ली चलते हैं। गाँव में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। सन् 1991 में कुसुम और उसके पति दिल्ली आए, वह कुछ समय रोहिणी सेक्टर 11 में रहे, उसके बाद नरेला गाँव तथा उसके बाद ज्वालाहेड़ी मार्किट के पास झुग्गी बस्ती में रहते थे।

2001 से कुसुम का परिवार शिव विहार पुनर्वास कॉलोनी में रह रहा है। जब ये यहाँ रहने आए तो यहाँ पर स्कूल, बिजली, डिस्पेंसरी किसी तरह की सुविधा नहीं थी। संगठन के द्वारा शिव विहार में बिजली, राशन, डिस्पेंसरी की सुविधायें हुईं।

कुसुम तथा उसके पति दोनों ही संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। संगठन के द्वारा आयोजित मासिक बैठक के माध्यम से उन्हें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी मिली और कुसुम ने सहायक पेंटर का प्रशिक्षण लिया। आस–पड़ोस के लोग कहते थे कि अब प्रशिक्षण लेकर क्या करोगी। पुराना काम ही अच्छा है।

कुसुम का मानना है कि यदि वह पेंटर का काम सीखती है तो उनका हुनर भी बढ़ेगा और आमदनी भी। कुसुम का मानना है कि संगठन ने उसे आगे बढ़ने का एक मौका दिया।

प्रशिक्षण के बाद कुसुम अपने–आप में बदलाव महसूस करती है। पहले वह किसी के सामने बोलने से डरती थी अब उसमें अपनी बात कहने की हिम्मत आई है। काम सीखने के बाद कुसुम ने स्वयं अपने घर में पेंट किया है। प्रशिक्षण से पहले तीन सौ रुपये कमाती थी अब वह पाँच सौ रुपये दिहाड़ी लेती है। जब सर्टिफिकेट के लिए उसे मंच पर बुलाया गया तो उसे बहुत अच्छा लगा। कुसुम का मानना है कि अगर उसे आगे भी मौका मिला तो वह अपने हुनर को और बढ़ाएगी।

नामः– सामता देवी, D-176ए, से. 3, द्वारका

सामता देवी गाँव पालकीया, जिला पाली, राजस्थान की रहने वाली है। सामता देवी की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। काम की तलाश में पति के साथ दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में रहते हुए करीब 24 साल हो गए हैं। सामता पिछले 22 सालों से बेलदारी का काम कर रही है। दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन से पिछले चार वर्षों से जुड़ी हुई है। संगठन से जुड़ने से पहले

मज़दूरों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार तथा सामाजिक भेदभाव जैसे विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे–जैसे समझ बनती गई और संगठन की दूसरी महिला साथियों की हिम्मत देखी तो खुद में भी आत्म–विश्वास बढ़ता गया।

नई ताकत का अहसास हो रहा है। घर, परिवार तथा समाज में किसी के साथ बातचीत में किसी तरह का संकोच नहीं होता है। बच्चों को भी यह सभी जानकारी एवं समझ देना चाहती हूँ।

इसी दौरान राजमिस्त्री की ट्रेनिंग में भाग लेने का मौका मिला। संगठन से इतनी ताकत मिली थी कि अपने घर में पति से मैने खुद ही बात की और ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग लेने से मेरे अंदर राजमिस्त्री के काम की जानकारी बढ़ी और हौसला भी बढ़ा। मेरे प्रशिक्षण का मुझे प्रमाण–पत्र मिला जिससे मेरी पहचान बढ़ी। अभी मैं पहचान के ठेकेदार के साथ काम पर जा रही हूँ, आशा करती हूँ कि मुझे राजमिस्त्री का काम भी जल्द मिलने लगेगा।

दिल्ली निर्माण मज़दूर संगठन

एफ–52, विकास नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059
फोन : 91 9871076208, 91 9891264064
ईमेल : delhidnms@gmail.com बेवसाइट : delhidss.com